तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। तहसीलदार सेड़वा से तरमीम दुरूस्ती हेतु तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु आईन्दा दिनांक 15/07/25 को पेश हो।	मौका रिपोर्ट अनुसार आदेश किया जावे (अप्रार्थी वकील)
15/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 59/2023 उनवान हाकमसिंह बनाम चनणीदेवी वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अत: वादग्रस्त आराजी की तरमीम दुरूस्ती से सम्बन्धित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली [illegible] तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया [illegible]	प्रार्थी मौका फर्द दिनांक 15/04/25 को बनाई जिससे सहमती प्रदान की है। (प्रार्थी वकील)

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन संख्या 59/2023
उनवान हाकमसिंह बनाम चनणीदेवी वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 59/2023

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. हाकमसिंह पुत्र तगसिंह जाति राजपूत निवासी सालारिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. चनणीदेवी पत्नी लाखाराम जाति सुथार, निवासी खारी, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 2. इमामत पत्नी झुड़ा 3. धुरा पुत्र माहमद 4. मंजुरखां पुत्र सालेमोहम्मद 5. सुभानी पत्नी मोहमद जातियान मुसलमान निवासीगण सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 6. तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित :प्रार्थी वकील —श्री मोहनसिंह सोढा

विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के वकील— श्री करनाराम कड़वासरा

—: निर्णय :—

दिनांकः— 15.07.2025

प्रार्थी हाकमसिंह पुत्र तगसिंह जाति राजपूत, निवासी सालारिया, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सालारिया, पटवार हल्का सालारिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 604/321 रकबा 4.8319 हैक्टेयर का आया हुआ है, जो भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी, टांके, लाटा, कृषि कुआं आदि बना हुआ है। प्रार्थी के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 01 खेत खसरा नम्बर 606/321 रकबा 4.8238 हैक्टेयर मौजा सालारिया पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेड़वा में आया हुआ हैं जो समस्त भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 की मूल खसरा नम्बर 321 का भाग थी, तथा अलग अलग खरीद करने के कारण अलग अलग नाम से खातेदारी में दर्ज की गई थी। जिस कारण वर्तमान में प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 के अलग अलग खसरा नम्बर व अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अलग काश्त करते हैं तथा अलग अलग भूमि की तरमीम भी की हुई हैं, परन्तु लट्टा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजुद कब्जा काश्त में भारी अन्तर हैं। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि की मौके की जांच किये बिना एवं पक्षकारान के कब्जा काश्त सलंग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये अनुसार कब्जा काश्त के अनुसार हैं तथा इसी अनुसार राजस्व अधिकारीयों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किये बिना गलत तरमीम कर दी हैं, जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने के विधिक अधिकारी हैं। सलंग्न परिशिष्ट "अ" को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व अंश समझा जावें। राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर मौजुद कब्जा काश्त के अनुसार नहीं करके गलत (अशुद्व) तरमीम कर दी गई अर्थात लट्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त खेतों के मौके व कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खेत की कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्धिकरण करवाना चाहता हैं जिस हेतु यह तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पेश हैं। कि प्रार्थी के पुराने कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर सलंग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं परन्तु वादग्रस्त खेतों की मौके पर कब्जा काश्त की जांच किए बिना ही लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई जो मौके पर वर्तमान कब्जा काश्त के अनुसार नहीं की गई हैं। विप्रार्थी का कब्जा काश्त सलंग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार हैं इसलिये प्रार्थी व विप्रार्थी पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम करवाना चाहता हैं। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम के आधार पर भूमि का बेचान अजनबी लोगों को कर मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज करने का प्रयास किया जा रहा हैं जबकि प्रार्थी ने मौके पर मेहनत व खाद बीज डालकर अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाया हैं जिससे अब प्रार्थी को विप्रार्थी संख्या 01 व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा हैं इसलिये प्रार्थी की कृषि जोत की तरमीम दुरुस्ती हेतु यह आवेदन पेश करने की आवश्यकता है। आवेदन माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से पेश है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] र्थी का आवेदन स्वीकार कर मौजा सालारिया, पटवार हल्का सालारिया, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 604/321 रकबा 4.8319 हैक्टेयर व [illegible] स्थित खसरा नम्बर 606/321

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

रकबा 4.8238 हैक्टेयर मौजा सालारिया पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेड़वा की लट्ठा ट्रेस में की गई। अशुद्व व गलत तरमीम को दुरूस्त कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस सही तरमीम सलंग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार दुरुस्त(शुद्विकरण) करने के आदेश फरमावें। यह भी निवेदन है कि तरमीम दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सेड़वा से पक्षकारों के रूबरू मौका रिपोर्ट मंगवाकर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अनुमोदित किया जाए व बाद अनुमोदित लट्टा ट्रेस में तरमीम कराई जाकर दोनों पक्षों के मध्य दुरुस्त तरमीम अनुसार पैमाईश की जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के की ओर से अधिवक्ता श्री करनाराम कड़वासरा ने वाकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2025/463 दिनांक 20.03.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ. /2025/244 दिनांक 20.05.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"ग्राम सालारिया के मुल खसरा संख्या 321 जिनके नवसृजित खसरा नम्बर 604/321 रकबा 4.8319 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि हाकमसिंह पुत्र तगसिंह जाति राजपूत साकिन सालारिया तथा खसरा नम्बर 606/321 रकबा 4.8238 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि चनणीदेवी पत्नी लाखाराम जाति सुथार साकिन खारी व खसरा नम्बर 605/321 रकबा 9.6477 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम भूमि इमामत पत्नी झुडा 1/3, धुरा पुत्र माहमद 1/3, मंजुरखां पुत्र सालेमोहमद 1/6 व सुभानी पत्नी मोहमद 1/6 जातियान मुसलमान, साकिन सालारिया के नाम खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपर्युक्त खसरो के खातेदारों की भूमि की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार नहीं होने से व रास्ता भूमि की आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। उपर्युक्त खसरों में मौके पर रास्ता चल रहा है। जिनको सहमति से रेकर्ड में कटाण रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। उपर्युक्त खसरों की प्रस्तावित तरमीम इनके आपसी सहमति व कब्जा काश्त, रहवासी ढाणियां, ट्युबवेल इत्यादि के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

आधार पर प्रस्तावित किया गया हैं, जिसे सलंग्न नक्शे में कब्जा काश्त को बरंग दर्शित किया गया है। वर्तमान कब्जा काश्त व सहमति अनुसार संशोधित रकबा व रास्ता खसरा नम्बर 604/321(i) रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604/321(ii) 3.7855 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि हाकमसिंह पुत्र तगसिंह जाति राजपूत साकिन सालारिया, खसरा नम्बर 606/321(i) रकबा 01.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 606/321(ii) 2.8374 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि चनणीदेवी पत्नी लाखाराम जाति सुथार साकिन खारी, खसरा नम्बर 605/321 रकबा 9.6477 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम भूमि इमामत पत्नी झुडा 1/3, धुरा पुत्र माहमद 1/3, मंजुरखां पुत्र सालेमोहमद 1/6 व सुभानी पत्नी मोहमद 1/6 जातियान मुसलमान साकिन सालारिया ग्राम सालारिया, खसरा संख्या 604/321 व खसरा संख्या 606/321 किस्म बारानी सोयम में से रकबा 0.2328 हैक्टेयर भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ हाकमसिंह पुत्र तगसिंह कौम राजपूत, चननी देवी पत्नी लाखाराम कौम सुथार 01/2 हिस्सा साकिन खारी खातेदार द्वारा रास्ते हेतु सामलाती भूमि छोड़ी गई है। उपर्युक्त संशोधित रकबा परिशिष्ट "ब" अनुसार हैं। जिसे उपर्युक्त खसरो के खातेदारो ने सहमति प्रदान की है। उक्तानुसार उक्त खसरो की तरमीम दुरुस्ती खातेदार की आपसी सहमति कब्जाकाश्त अनुसार ढाणियां इत्यादि के आधार पर प्रस्तावित की गई हैं। अतः उक्तानुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना उचित हैं। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अ.नि. अंकित करवाए गए।"

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 59/2023 उनवान हाकमसिंह बनाम चनणीदेवी वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीक[illegible] प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त [illegible] जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल सालारिया के ग्राम सालारिया के खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

604/321(i) रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604/321(ii) 3.7855 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि हाकमसिंह पुत्र तगसिंह जाति राजपूत साकिन सालारिया नक्शे में **बरंग लाल** तथा खसरा नम्बर 606/321(i) रकबा 1.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 606/321(ii) रकबा 2.8374 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि चनणीदेवी पत्नी लाखाराम कौम सुथार साकिन देह खातेदार नक्शे में **बरंग गुलाबी**, खसरा नम्बर 605/321 रकबा 9.6477 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम इमामत पत्नी झुडा 1/3 धुरा पुत्र माहमद 1/3 मंजूरखां पुत्र सालेमोहमद 1/6 सुभानी पत्नी मोहमद 1/6 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार नक्शे में **बरंग हरा** तथा खसरा संख्या 604/321, खसरा संख्या 606/321 में से रकबा 0.2328 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि(रास्ता प्रयोजनार्थ) हाकमसिंह पुत्र तगसिंह कौम राजपूत हिस्सा 1/2, चनणीदेवी पत्नी लाखाराम कौम सुथार 1/2 हिस्सा सा. खारी खातेदार को मौका फर्द के संलग्न नक्शे में प्रार्थी की तरमीम बरंग 'लाल' तथा विप्रार्थी संख्या 01 की तरमीम बरंग' गुलाबी', विप्रार्थी संख्या 02 इमामत वगैरा की तरमीम बरंग हरा' अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित नक्शे अनुसार **राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ. /2023/244 दिनांक 20.05.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.04.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा, जिला बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2023 / 1636 दिनांक :— 26/10/2023

प्रेषित :— तहसीलदार सेड़वा।

विषयः— राजस्व आवेदन सं. 59 / 2023 अनवान हाकमसिंह वगैरा बनाम चनणीदेवी वगैरा अन्तर्गत 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के सन्दर्भ में लेख है कि उपरोक्त अनवान के आवेदन में प्रार्थी के खातेदारी मौजा सालारिया पटवार हल्का सालारिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 604 / 321 रकबा 4.8319 हैक्टर व विप्रार्थी संख्या 1 का खसरा संख्या 606 / 321 रकबा 4.8238 हैक्टर, भूमि की लट्ठा ट्रेस में पूर्व में की गई गलत तरमीम दुरस्ती करवाये जाने का निवेदन किया है। इस संबंध में आपको कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। आप सम्पूर्ण जांच कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट साक्ष्य सबूत सहित आगामी तारीख से 16/11/23 से पूर्व न्यायालय में भिजवाये।

संलग्न —

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2025 / 463 दिनांकः– 20/03/2025

प्रेषिती :– तहसीलदार सेड़वा।

विषयः– राजस्व आवेदन सं. 59 / 2023 अनवान हाकमसिंह बनाम चनणीदेवी वगैरा अन्तर्गत 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के सन्दर्भ में लेख है कि उपरोक्त अनवान के आवेदन में प्रार्थी ने अपनी खतेदारी मौजा सालारिया पटवार हल्का सालारिया भू.अ.क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 604 / 321 रकबा 4.8319 हैक्टेयर व विप्रार्थीगण संख्या 1 का खसरा संख्या 606 / 321 रकबा 4.8238 हैक्टेयर मौजा सालारिया पटवार क्षेत्र सेड़वा की लट्ठा ट्रेस में की गई अशुद्व व गलत तरमीम को दुरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस सही तरमीम परिशिष्ट 'अ' के अनुसार दुरस्त करवाये जाने का निवेदन किया है। इस संबंध में आपको कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। आप सम्पूर्ण जांच कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट साक्ष्य सबूत सहित आगामी तारीख से 16/04/25 से पूर्व न्यायालय में भिजवाये।

सलंग्न :– **परिशिष्ट 'अ'**

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 244 दिनांकः–20.05.2025

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राजस्व वाद संख्या 59/2023 अनवान हाकमसिंह वगैरह बनाम चनणीदेवी वगैरह अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंगः– श्रीमान जी का आदेश क्रमांक/रीडर/2025/463 दिनांक 20.03.2025 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 59/2023 अनवान हाकमसिंह वगैरह बनाम चनणीदेवी वगैरह में मौजा सालारिया के खसरा नंबर 604/321 रकबा 4.8319 हैक्टर व खसरा नंबर 606/321 रकबा 4.8238 हैक्टर में अन्तर्गत धारा 136,131 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अभिलेख निरीक्षक सारला द्वारा दिनांक 15.04.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्रांक के सलंग्न भिजवाई जा रही है।

सलंगनः– उरोक्तानुसार

भवदीय
(पन्नाराम चौधरी)
तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द

आज दिनांक 15/04/2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक /भू अ/730 दिनांक 21/03/25 एवं माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन सं 59/2023 उनवान हाकमसिंह बनाम चनणीदेवी वगै. अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act में ग्राम सालारिया के खसरा सं 604/321 रकबा 4.8319 हैक्टर खसरा न. 606/321 रकबा 4.8238 हैक्टर की तरमीम दुरूस्ती की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने पटवारी हल्का सालारिया के साथ मौके पर आये। मौके पर उपस्थित प्रार्थी, विप्रार्थी व मौतबिरानों के रूबरू मौका देखा गया जिसकी बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है—

ग्राम सालारिया के मूल खसरा स. 321 जिनके नवसृजित खसरा स. 604/321, 605/321, 606/321 है उक्त खसरो की तरमीम इनके कब्जाकाश्त अनुसार नहीं है। वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे भूमि का अंकन निम्नानुसार है —

	खसरा सं.	रकबा	किस्म	खातेदार
1	604/321	4.8319 हे.	बा.सो.	हाकमसिंह पुत्र नगसिंह कौम राजपूत सा-देह खातेदार रहन-SBI सेड़वा
2.	606/321	4.8238 हेक्ट.	बा.सो.	चनणीदेवी पत्नी लाखाराम कौम सुथार सा.देह खातेदार रहन SBI धोरीमन्ना
3	605/321	9.6477 हे.	बा.सो.	इमामत पत्नी मुराद 1/3 मुराद पुत्र मारम 1/3 मंजूरखां पुत्र सालेमोहम्मद 1/6 कुमारी पत्नी मोहम्मद 1/6 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार

उपरोक्त खसरो के खातेदारो की भूमि की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार नही होने से व रास्ता भूमि की आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से तरमीम दुरूस्ती करवाना चाहते है। उपरोक्त खसरे मे मौके पर रास्ता चल रहा है। जिनको सहमति से रेकर्ड मे कदीम रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। उपरोक्त खसरे की प्रस्तावित तरमीम इनके आपसी सहमति व कब्जा काश्त, रहवासी ढाणियां, ट्यूबवेल इत्यादि के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। जिसे संलग्न नक्शे में कब्जाकाश्त को रंग दर्शित किया गया है।

P.T.O.

पृष्ठ की

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

पट. 15/04/25
ILR सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

दुर्गा मागीलाल

C.S
20/04/25
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

अ.नि.
चनणी (विप्रार्थी)
लाखाराम सुथार

राजूसिंह

अ.नि.
हाकमसिंह (प्रार्थी)
अ.नि.
इमामत
कुमारी

वर्तमान कब्जाकाश्त व सहमति अनुसार संशोधित रकबा व रास्ता

खसरा नं.	भाग	रकबा	किस्म	खातेदार
1. 604/321	(i)	0.96 हे.	बा.नि.	हाकमसिंह पुत्र लगासिंह कौम राजपूत सा० देह खातेदार रहन-SBI सेड़वा
—"—	(ii)	3.7855 हे०	बंजर	—"—
2. 606/321	(i)	1.84 हे	बा.नि.	चनणीदेवी पत्नी लाखाराम कौम कुम्हार सा० देह खातेदार रहन SBI शाखा धोरीमना
—"—	(ii)	2.8374 हे	बा.नि.	
3. 605/321		9.6477 हे.	बा.नि.	इमामत पत्नी धुड़ा 1/3 धुड़ा पुत्र मोहम्मद 1/3 मंजूरखां पुत्र सालेमोहम्मद 1/6 कुमानी पत्नी मोहम्मद 1/6 कौम मुसलमान सा० देह खातेदार
4. 604/321	में से	0.2328	बा.नि.	हाकमसिंह पुत्र लगासिंह कौम राजपूत हि० 1/2 ~~राज. सरकार~~
606/321	में से	रेस्ट (रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि)		चनणीदेवी पत्नी लाखाराम कौम कुम्हार 1/2 हि० सा० खाटी खातेदार

उपरोक्त संशोधित रकबा 'परिशिष्ट-ब' अनुसार है जिसे उपरोक्त खसरों के खातेदारों ने सहमति प्रदान की है इसके अनुसार उक्त खसरों की तरमीम दुरुस्ती खातेदारों की आपसी सहमति, कब्जा काश्त अनुसार, वाजिब हालात आधार पर प्रस्तावित की गई है अतः इसके अनुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना उचित है। (संलग्न नक्शा मौका फर्द का आवश्यक अंग है)
मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अ.नि. अंकित करवाये गये।

पुष्टि की
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

15/5/25
ILR सेड़वा

C.S.

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

हस्ता. राजुसिंह

अ.नि. चनणी

लाखाराम कुम्हार

अ.नि. हाकमसिंह राजपूत

अ.नि. कुमानी

इमामत

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 59/2023 अनवाद हाकमसिंह वगैरा बनाम चनणीदेवी वगैरा अन्तर्गत 131, 136 RLR Act मे तरमीम दुरुस्ती हेतु प्रस्तावित नक्शा

वर्तमान

परिशिष्ट 'अ'

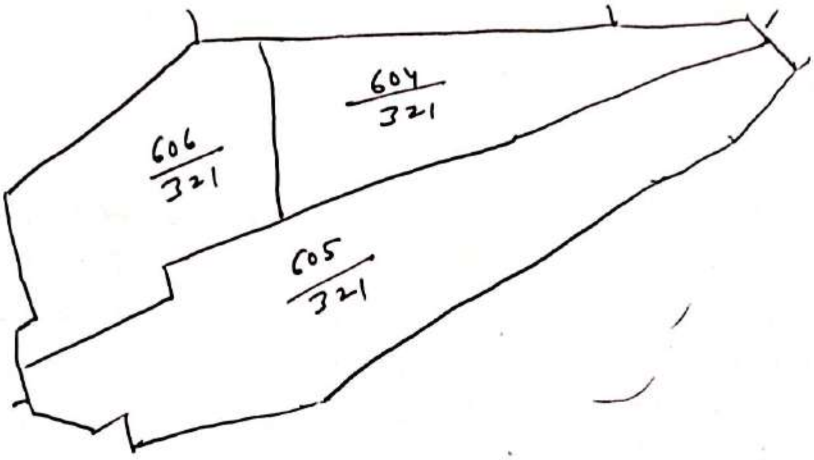

प्रत्यक्ष कोर्ट

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

तरमीम दुरुस्ती हेतु प्रस्तावित नक्शा (आपसी सहमति व कब्जा काश्त अनुसार)

परिशिष्ट 'ब'

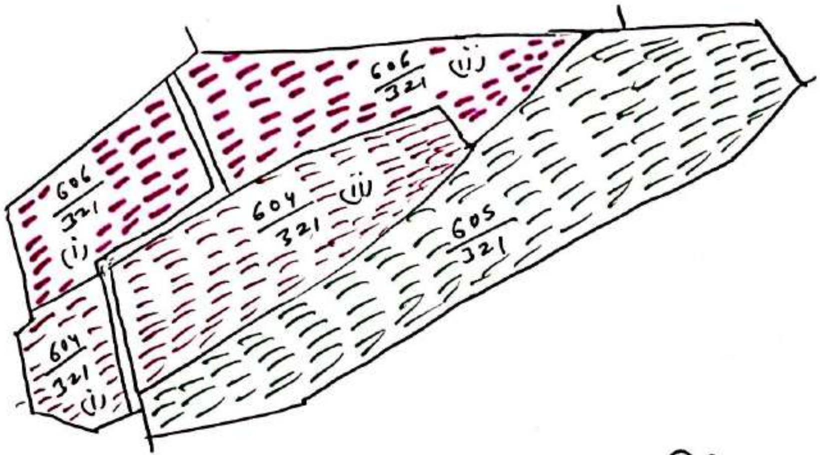

संकेत

चनणीदेवी की भूमि

हाकमसिंह की भूमि

की भूमि

= आमलाती

आनि. हाकमसिंह

15/05/25

LLR सेड़वा

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.06.22 19:36:23 IST
Reason: SelfAttested

मनजुर बोल

चनणीदेवी

मांगीलाल